रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1975/पौष 11, 1896

No. 3] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 1975/PAUSA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER NO. 1/75

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st January 1975

S.O. 3(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 9/67, dated the 1st August, 1967 prohibiting the import and export of all goods, whether directly or indirectly, into or from any port or place in India, from or to any port or place in Portugal.

[No. I&E/75]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश सं० 1/75

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1975

का० आ० 3 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार भारत में या भारत से किसी भी पत्तन या स्थान से, पुर्तगाल में किसी भी पत्तन या स्थान से या को सभी प्रकार के माल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात-निर्यात को निषेध करने वाले वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या : 9/67, दिनांक 1 अगस्त, 1967 को एतद्द्वारा रद्द करती है।

[सं० आई० एण्ड ई०/75]

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975